



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21052022-235920
CG-DL-W-21052022-235920

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12]	नई दिल्ली, मई 15—मई 21, 2022, शनिवार/वैशाख 25—वैशाख 31, 1944
No. 12]	NEW DELHI, MAY 15—MAY 21, 2022, SATURDAY/VAISAKHA 25—VAISAKHA 31, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 11 मई, 2022

का.नि.आ. 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (आशुलिपिक श्रेणी-2) संशोधन भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में (आशुलिपिक श्रेणी-2) भर्ती नियम, 2011 की अनुसूची के स्तम्भ 2 में “105* (2011) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।” अंकों, कोष्ठको और शब्दों के स्थान पर-

“170* (2022) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।” अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 9(1)/DAD/C/2022]

वेदवीर आर्या, अपर वित्तीय सलाहकार एवं संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-4 में का.नि.आ. सं. 33 तारीख 6 मई, 2011 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात का.नि.आ. सं. 30, तारीख 19 मई, 2018 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF DEFENCE

(Finance Division)

New Delhi, the 11th May, 2022

S.R.O. 33.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Accounts Department (Stenographer Grade-II) Recruitment Rules, 2011, namely :-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Defence Accounts Department; (Stenographer Grade-II) Amendment Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Defence Accounts Department, (Stenographer Grade-II) Recruitment Rules, 2011 in the Schedule; column 2 for the figures, brackets and words

“105* (2011) Subject to variation dependent on workload”,

the figures, brackets and words shall be substituted.

“170*(2022) Subject to variation dependent on workload”

[F. No.9(1)/DAD/C/2022]

VEDVEER ARYA, Jt. Secy. and Addl. Financial Advisor

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide number S.R.O. 33, dated the 6th May, 2011 and subsequently amended vide S.R.O. 30, dated the 19th May, 2018.

नई दिल्ली, 10 मई, 2022

का.नि.आ. 34.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, रक्षा मंत्रालय, रक्षा विभाग, के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:-

1.	सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय, 'ए' ब्लॉक, 4 एवं 5वां तल, रक्षा कार्यालय परिसर, अफ्रीका एवेन्यू, नई दिल्ली- 110023
----	--

[फा. सं. 1(2)/2021-रक्षा (रा.भा.1)]

विशाल गगन, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 10th May, 2022

S.R.O. 34.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of Ministry of Defence, D/o Defence more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :-

1.	Directorate General Armed Forces Medical Services 'A' Block, 4 & 5th Floor, Defence Office Complex, Africa Avenue, New Delhi- 110023
----	--

[F. No. 1(2)/2021-D(OL-1)]

VISHAL GAGAN, Jt. Secy.